

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।

पत्रांक
सेवा में,

636 / 14-1(एन0एच0-330डी)

हरदोई

दिनांक-

20-8-2022

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0 प्र0, लखनऊ।

विषय:-

जनपद हरदोई के अर्न्तगत सीतापुर-प्रतापनगर-कुरियन(एन.एच.-330 डी) मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढीकरण से प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग व बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयांकित पत्र के क्रम में निवेदन के साथ अवगत कराना है कि जनपद हरदोई के अर्न्तगत एन0एच0 डिवीजन, लोक निर्माण विभाग, कानपुर द्वारा सीतापुर-प्रतापनगर-कुरियन(एन.एच.-330 डी) मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढीकरण से प्रभावित 8.280 हे0 संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग व 1200 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु आनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। मार्ग चौड़ीकरण से प्रभावित संरक्षित वन भूमि के बदले दो गुने क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अवनत वन भूमि (रिक्त भूमि) इस प्रभाग में उपलब्ध नहीं है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव की क्षतिपूरक वनीकरण हेतु 16.560 हे0 अवनत वन भूमि उपलब्ध कराने हेतु लैण्डबैंक के अनुसार सम्बन्धित वन प्रभाग को निर्देशित करने की कृपा करें, जिससे क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त अवनत वन भूमि के जियो रिफरेंस डिजिटल मानचित्र, सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोशीट मैप, जियो काडिनेटस्, के0एम0एल0 फाइल तैयार कराये जाने हेतु प्रस्तावक विभाग को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

(रविशंकर शुक्ल)

प्रभागीय निदेशक,

सा0 वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
हरदोई।

पत्रांक-636/उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र एवं चित्रकूट वन प्रभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि यदि आपके वन प्रभाग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवनत वन भूमि उपलब्ध है तो प्रस्तावित अवनत भूमि (जिसका वानस्पतिक घनत्व 0.4 से कम हो) अपने वन प्रभाग के अर्न्तगत चिन्हित कर वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र, न्यूनतम 1000 पौध/हे0 की दर से क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण सहित प्राक्कलन तथा जियो रिफरेंस डिजिटल मानचित्र, सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोशीट मैप, जियो काडिनेटस्, के0एम0एल0 फाइल हरदोई वन प्रभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. अधिशाषी अभियन्ता, एन0एच0 डिवीजन, लोक निर्माण विभाग, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जी.पी.एस. पालिगॉन के अनुसार प्रस्तावित स्थल का जियो रिफरेंस डिजिटल मानचित्र, सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोशीट मैप, जियो काडिनेटस्, के0एम0एल0 फाइल 05 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(रविशंकर शुक्ल)

प्रभागीय निदेशक,

सा0 वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
हरदोई।